

अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्या ११३।

Central Bank of India Bhagalpur

प्रमाण-पत्र, सं०

संपत्ति-अवधार-प्रमाणपत्र

आवेदन सं० 41726/18

चौकि श्री Dhananjay Sharma 8/6/18

निम्नलिखित संव्ययहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्ययहारों और अवधारों के बारे में कड़ी १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 1/1/1986-२० से ता० 7/12/२०/18 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्ययहारों और अवधारों का पता चला है :- 179.

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
Mamun	Salahpur Buxhar w/o Hatafah PS Sect 25 PS No 342 Dist mm/m		Khale 274	Khale 42	Mamun 21-336 Dec			

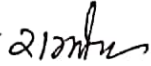
(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और पुनर्गति की अवधि दर्ज करें।
२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक कमान दर्ज करें।

धरातें कि इनके बारे में उल्लेख हो।

यें यह भी प्रमाणित करता है कि उपयुक्त संव्यवहारों अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

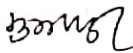
(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

कार्यालय 

तारीख 15/12/18




निबन्धन पदाधिकारी की हस्ताक्षर।
15/12/18

टिप्पणी :- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति, बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें प्रिनिटिड संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान कानून पर धारियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने धारक सावधानी से की है। फिर भी, विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूके गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूके गये संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रमाण पड़ता हो।